# उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

Uttarakhand Tourism

**पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,**

**(निकट– ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड़) नींम्बूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून)**

दूरभाषः 0135–2559898,E-mail- tourismkarmik@gmail.com

संख्या– 1324 /2–2–83 का0/2014–24 देहरादून दिनांकः 07/ 06 / 2024

## चारधाम यात्रा प्रबन्धन एवं नियन्त्रण संगठन के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति/पुर्ननियुक्ति के पद हेतु अनिवार्य अर्हतायें एवं अनुभव/नियम व शर्ते

शासनादेश संख्या–124773/दिनांक 25 मई, 2023 द्वारा चारधाम यात्रा प्रबन्धन एवं नियन्त्रण संगठन के स्थाई कार्यालय ऋषिकेश के अधीन प्रतिनियुक्ति/पुर्ननियुक्ति के आधार पर निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक आवेदकों से निम्न वर्णित पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदक इस विज्ञप्ति के साथ दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप पर अपना आवेदन अभिलेखों सहित स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से प्रेषित करें, जो कि इस कार्यालय को **दिनांक 01.07.2024 सांय 5:00 बजे** तक प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

| क्र0 सं0 | पद का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान | भर्ती का स्त्रोत | अनिवार्य अर्हतायें एवं अनुभव |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01 | नियंत्रक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 01 | अन्तिम आहरित वेतन माइनेस पेंशन के आधार पर।<br><br>**अथवा**<br><br>रू0 2,00,000/- प्रतिमाह नियत वेतन | पुर्ननियुक्ति/ नियत वेतन | • सेवानिवृत्त आई0ए0एस0/वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो।<br>• आई0ए0एस0 अधिकारी के रूप में 08 वर्ष की सेवा अथवा पी0सी0एस0 अधिकारी के रूप में कम से कम 12 वर्ष की सेवा की गई हो।<br>• इस पद पर 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले घटित हो तक नियुक्ति की जायेगी।<br>• अन्तिम आहरित वेतन माइनस पेंशन के आधार पर वेतन देय होगा।<br>• हिन्दी/अग्रेंजी भाषा का पढ़ने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान।<br>**अथवा**<br>• ऐसे स्नातक, एम0बी0ए0 जिनको निजी/सार्वजनिक संस्थानों में कम से कम 15 वर्ष का कार्यानुभव जिसमें से कम से कम 10 वर्ष किसी संस्थान में टीम लीडर अथवा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद पर कार्य किया गया हो।<br>• यात्रा संचालन/तीर्थाटन संचालन लाजिस्टिक प्रबन्धन में 07 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।<br>• इस पद पर नियुक्ति तीन वर्ष के लिये होगी, जिसे 01–01 वर्ष बढ़ाकर अधिकतम 5 वर्षों के लिये विस्तारित किया जायेगा।<br>• हिन्दी/अग्रेंजी भाषा का पढने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | तहसीलदार / नायब तहसीलदार (यात्रा) | 01 | – | प्रतिनियुक्ति / पुर्ननियुक्ति<br><br>**अथवा**<br>अन्तिम आहरित वेतन माइनेस पेंशन के आधार पर। | • ऐसे तहसीलदार / नायब तहसीलदार जिन्होंने 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।<br>• हिन्दी / अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने का ज्ञान।<br>**अथवा**<br>• सेवानिवृत्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो।<br>• इस पद पर 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले घटित हो तक नियुक्ति की जायेगी।<br>• हिन्दी / अग्रेंजी भाषा का पढ़ने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान। |
| 03 | विशेषकार्याधिकारी (निःसंवर्गीय) | 01 | लेवल–10 (56100–177500) /<br><br>**अथवा**<br>अन्तिम आहरित वेतन माइनेस पेंशन के आधार पर। | प्रतिनियुक्ति / पुर्ननियुक्ति | • विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण हो।<br>• सरकारी / अर्द्धसरकारी अधिष्ठानों में वर्तमान में वेतन लेवल–10 में कार्यरत हो।<br>• शासकीय / अर्द्धशासकीय / पर्यटन विभाग / निगम / धर्मस्व पर्यटन समितियों आदि में चारधाम यात्रा क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष कार्यानुभव।<br>• हिन्दी / अग्रेंजी भाषा का पढने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान।<br>**अथवा**<br>• सेवानिवृत्त विशेषकार्याधिकारी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो।<br>• इस पद पर 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले घटित हो तक नियुक्ति की जायेगी।<br>• हिन्दी / अग्रेंजी भाषा का पढने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान। |
| 04 | यात्रा प्रबन्धक,<br><br>**(गंगोत्री / यमुनोत्री, केदारनाथ, बदीनाथ, सोनप्रयाग / गौरीकुण्ड, हेमकुण्ड साहिब एवं मुख्यालय ऋषिकेश।** | 06 | लेवल–5 (29200–92300) | प्रतिनियुक्ति | • विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण हो।<br>• सरकारी / अर्द्धसरकारी अधिष्ठानों में वेतन लेवल–5 में कार्यरत कार्मिक।<br>• शासकीय / अर्द्धशासकीय / पर्यटन विभाग / निगम / धर्मस्व पर्यटन समितियों में चारधाम यात्रा क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष कार्यानुभव।<br>• हिन्दी / अग्रेंजी भाषा का पढने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | सहायक लेखाकार | 01 | लेवल–5 (29200–92300) | –तदैव– | • विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण हो।<br>• सरकारी / अर्द्धसरकारी अधिष्ठानों में वेतन लेवल–5 में कार्यरत कार्मिक।<br>• राज्य / केन्द्र सरकार / निगम में कनिष्ठ लेखा लिपिक / लेखा लिपिक / सहायक लेखाकार के पद पर 03 वर्षों का कार्यानुभव।<br>• हिन्दी / अग्रेंजी भाषा का पढने, लिखने एवं कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान। |

<u>प्रतिनियुक्ति / पुर्ननियुक्ति हेतु अन्य शर्ते एवं अनुभवः–</u>

- विज्ञापित पद पर चयन विभागीय चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।
- आवेदक को समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र, उनके विरूद्व किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित / योजित न होने व उनके विरूद्व किसी भी प्रकार का विभागीय / विजलेन्स जांच लम्बित / प्रचलित न होने का प्रमाण–पत्र तथा पिछले पांच वर्ष की चरित्र प्रविष्टियां आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
- सम्बन्धित कार्मिक को तैनाती स्थान पर साक्षात्कार / कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- **क्र0सं0–04 के कॉलम सं0–03 पर इंगित पदों की संख्या उपलब्धता तथा आवश्यकतानुसार घटायी भी जा सकती है।**
- प्रतिनियुक्त कार्मिकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत / देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
- प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित निर्धारित प्रणाली से अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से **निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय / उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन, (निकट–ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड़) निम्बूवाला गढ़ीकैन्ट देहरादून–248001 के पते पर <u>दिनांक 01.07.2024 सांय 05:00 बजे तक</u>** रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।
- उक्त पद हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन किया जाना है, सम्बन्धी आवेदन के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड अथवा टंकित करवाकर किया जा सकता है।
- सम्बन्धित कार्मिक का कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर दी जायेगी।
- शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश उक्त प्रतिनियुक्ति पर प्रभावी होंगे।
- पर्यटन निदेशालय के पास प्रकाशित विज्ञप्ति सूचना को बिना किसी कारण के रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- **नोटः–** प्रतिनियुक्ति / पुर्ननियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के उपरान्त पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदकों का साक्षात्कार लिया जायेगा एवं साक्षात्कार समिति की अनुशंसा पर ही चयनित / अनुशंसित आवेदक की प्रतिनियुक्ति / पुर्ननियुक्ति पर तैनाती की जा सकेगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्।